

## बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

चैतन्य प्रसाद,  
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,  
बुडको।  
नगर आयुक्त,  
सभी नगर निगम।  
कार्यपालक पदाधिकारी,  
सभी नगर परिषद।  
संबंधित कार्यपालक अभियंता, बुडको।

पटना, दिनांक-22/8/19

**विषय:-** राज्य के सभी नगर निगम एवं नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित कम से कम एक सरकारी पोखर/तालाब के उड़ाही/जीर्णोद्धार हेतु प्राक्कलन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन का शुभारंभ किया गया है। उक्त अभियान के तहत सभी नगर निगम एवं नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित कम से कम एक सरकारी पोखर/तालाब के उड़ाही/जीर्णोद्धार योजना का शुभारंभ 02 अक्टूबर, 2019 को किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य को सफल बनाने में सभी संबंधित पक्षों का सहयोग आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि नगर निकाय के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी अपने नगर निकाय क्षेत्र में अवस्थित कम से कम एक सरकारी एवं अतिक्रमण मुक्त तालाब/पोखर को अविलम्ब चिह्नित कर लें तथा इसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के कार्यपालक अभियंता, बुडको को दिनांक- 24.08.2019 तक उपलब्ध करा दें तथा चिह्नित तालाब/पोखर की सूचना विभाग (MIS cell) को भी उपलब्ध कराएं। इस क्रम में यदि चिह्नित सरकारी तालाब या पोखर अतिक्रमण मुक्त हो तो संबंधित जिला पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर इसे तुरन्त अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की जाय, तदोपरांत प्राक्कलन बनवाने की अनुशंसा की जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि इस कार्य में धन राशि की आवश्यकता होगी, इसके लिए नगर निकाय अपने आर्थिक स्रोतों का आकलन कर लें तथा राज्य वित्त आयोग/14वें वित्त आयोग मद में आवंटित राशि का उपयोग इस निर्माण कार्य में किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि इन तालाबों/पोखरों का उड़ाही अथवा जीर्णोद्धार के क्रम में पक्कीकरण कार्य नहीं कराया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य जल संरक्षण एवं जल संचयन किया जाना है। तदालोक में तालाब/पोखर की उड़ाही के प्राक्कलन के संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता, बुडको को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित नगर निकाय से समन्वय स्थापित कर चिह्नित सरकारी पोखर/तालाब का प्राक्कलन

अचुक रूप से तैयार कर एवं सक्षम प्राधिकार से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करते हुए संबंधित नगर निकाय को तीन दिनों में अंदर उपलब्ध करा दें ताकि नगर निकाय ससमय अल्पकालीन निविदा निष्पादन का कार्य संपादित कर सके। इसके उपरांत निर्धारित तिथि (दिनांक- 02.10.2019) को उक्त योजनाओं का शुभारंभ कराया जा सके।

**कृपया इस कार्य को शीर्ष प्राथमिकता दी जाय।**

विशेषज्ञभाजन,

21/9/2019

सरकार के प्रधान सचिव।